ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रे0 मि0 केस सं0–08/2021–22

लालमोहन मराण्डी बनाम् मोसमात सुशीला वगै0

17-02-2023

–: आदेश :–

वर्त्तमान वाद आवेदक लाल मोहन मराण्डी पे0–बड़ा रसिक, साकिन–द्वारिघाट तेलगामा, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा–खदाहरा माल नं0–720, जमाबंदी नं0–34, दाग नं0–491, 492 के अन्तर्गत रकवा 00–09–10 धूर भूमि से विपक्षी (1) मोसमात सुशीला, पति–स्व0 राम लगन भगत, (2) शिव कमार जयसवाल, पिता–स्व0 रामलगन भगत, दोनों साकिन–खदहरामाल, थाना–महागामा को बेदखल करने से संबंधित है, के आलोक में कार्रवाई प्रारंभ किया गया। तद्नुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–1699/रा0, दिनांक–27.12.2022 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि आर0ई0आर0 केस नं0–107/16–17 (सुफल सोरेन बनाम सुशीला देवी) में इसी विवाद पर आदेश पूर्व में पारित है।

अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी टिप्पणी के समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Sd/- 17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Sd/- 17.02.23
अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

Seen by Subhash Chowdhury 17/4/23

Uttam Kr Ram Adv. 17/4/23

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.19 13:39:46 +05:30
Location: 192.168.8.116